

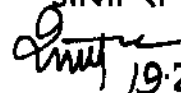
राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 45 /2021

दिनांक 19.02.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. /15 /2021 दिनांक 27.01.2021 के द्वारा श्रीमती डिम्पल जन्डेल (RJ0807), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद (अजमेर) को दिनांक 27.01.2021 से 06.02.2021 तक 11 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 26.01.2021 एवं 07.02.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित (आदेश क्रमांक Gen/XV(TRNG) 06/2021/229, dated 22.01.2021 के अनुसार webinar on "Cyber Laws and Electronic Evidence" on 05.02.2021 & 06.02.2021 को attend करने की शर्त सहित) स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 27.01.2021 का एक दिवस का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से

19.2.2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/89/2013/ 1237

दिनांक 19.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर को उनके पत्रांक 4191 दिनांक 11.02.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती डिम्पल जन्डेल (RJ0807), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद (अजमेर) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद (अजमेर) ।
5. सुश्री प्रेम गढ़वाल (RJ0965), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद (अजमेर) ।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद (अजमेर) ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार